प्रकाशक/स्वामीत्व
रजनी (पुत्री-महेश धावनिया)

डाक पंजियन संख्या : JaipurCity/423/2017-19

श्री बाबा

प्रधान कार्यालय-सी-57, महेश नगर, जयपुर-15, मो.-9928260244 हिन्दी मासिक समाचार पत्र 7073909291 E-mail:shreebaba_2008@yahoo.com

वर्ष : 11 अंक : 2 आर.एन.आई. नं. : RAJHIN/2008/24962 जयपुर, 5 अप्रेल, 2018 मूल्य : 5 रुपए प्रति पृष्ठ : 4

भारत बंद, राजस्थान सहित पूरे देश में जनजीवन ठप

दलित संगठनों का एस.सी./एस.टी. कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित समुदाय का अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीयव्यापी प्रर्दशन

पहली बार बिना नेतृत्व इतना बड़ा दलित आन्दोलन

जयपुर/नई दिल्ली। दलित संगठनों का भारत बंद बेहद सफल रहा। राजस्थान सहित पूरे देश में जबरदस्त प्रर्दशन हुई। अलवर जिले में खैरथल निवासी 22 वर्षीय पवन की गोली लगने से मौत हो गई। चार लोग गंभीर घायल हुए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि गंगापुर सिटी में कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रदेशभर में सैकड़ों वाहन फूंक दिए गए। अलवर में प्रदर्शनकारियों ने रेल रोकी और पटरियां उखाड़ दी। प्रदेश में पुलिसकर्मियों सहित 220 से ज्यादा लोग घायल हुए। जोधपुर में बंद के दौरान मोर्चा संभाले सब इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है। **(शेष पृष्ठ 4 पर)**

राष्ट्रपति को दलित संगठनों ने दिये ज्ञापन

देश के सभी दलित संगठनों ने राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये फैसले में पुन: विचार याचिका दायर करने हेतु दिये ज्ञापन।

राजस्थान के जननायक श्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठन महासचिव बनें

जोधपुर। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के नवनियुक्त संगठन महासचिव अशोक गहलोत ने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में हुए उप चुनाव सभी कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर लड़े और जीते। ऐसा ही आने वाले विधानसभा चुनावों में होगा। कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। शनिवार को मीडिया से बातचीत में जब उनसे पूछा कि गया कि क्या उनको केंद्र में जिम्मेदारी देकर राजस्थान में सचिन पायलट को फ्री हैंड दे दिया गया है? गहलोत बोले-राजस्थान का हर गांव-ढाणी व कोना मेरे दिल में है। **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

'69वाँ राजस्थान स्थापना दिवस' राजस्थान हाउस में धूमधाम से मनाया

जयपुर। राजस्थान स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार 29 मार्च को सायं नई दिल्ली के पृथ्वीराज रोड स्थित राजस्थान हाउस में आवासीय आयुक्त कार्यालय और पर्यटन विभाग के सौजन्य से राजस्थान दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया।

इस मौके पर केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री विजय गोयल तथा केन्द्रीय विधि और न्याय एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री श्री पी पी चौधरी उपस्थित थे। समारोह में बाड़मेर से आये भुगर खान मांगणियार एवं साथी लोक कलाकारों ने डेजर्ट सिम्फनी का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कलाकारों ने **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

जयपुर में सभी संगठनों द्वारा अम्बेडकर जयन्ती की तैयारियां चर्म पर

जयपुर। डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में राजस्थान प्रदेश में आरक्षित वर्ग की कार्यरत

विभिन्न सामाजिक संगठन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी अधिकारी संघ और दलित उत्थान के विभिन्न संगठनों की सहभागीदारी बनाते हुए भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की 127वीं जयन्ती समारोह का आयोजन दिनांक 14 अप्रेल 2018 को संस्था प्रांगण मे भव्य रूप मनाया जायेगा।

डॉ अम्बेडकर जयन्ती समारोह संयुक्त समिति के तत्वावधान में दिनांक 13 अप्रैल 2018 को सांय 4 बजे अम्बेडकर जयन्ती समारोह अम्बेडकर सर्किल जयपुर मे आयोजित किया जा रहा है जिसके संयोजक श्री बी . एल. बैरवा हैं और अध्यक्ष श्री भजनलाल रोलन हैं इस समारोह में अजा-अजजा के सभी कर्मचारी संगठन व सामाजिक संगठन भाग ले रहे। समारोह में अपने समाज की कलाकारों द्वारा बाबा साहेब के जीवन पर आधारित गीत प्रस्तुत किये जायेंगे।

अम्बेडकर विचार मंच की ओर से भी 14 अप्रेल, 2018 को विशाल झाँकी निकाली जायेगी।

बैरवा सेवानिवृत

जयपुर। श्री हीरा लाल बैरवा उप निदेशक, पेन्शन विभाग जयपुर के पद से उत्कृष्ट एवं गौरवमयी सेवा पूर्ण करने के उपरान्त राज्य सेवा से 31 दिसम्बर, 2017

को सेवानिर्वत हुऐ। इस अवसर पर विभाग की और से श्री बैरवा का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया साथ ही शुक्रवार 30 मार्च, 2018 को खोले के हनुमान जी दिल्ली बाईपास रोड़, जयपुर में श्री हीरालाल बैरवा का परिवारजन, समाज एवं मित्रगणों द्वारा माला एवं साफा बंधवाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया साथ ही आये हुए सभी मेहमानों ने भोजन प्रसादी का आनन्द लिया।

एस.सी./एस.टी. एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और सरकार की और से सही पैरवी नहीं करवाने का परिणाम

देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के वर्गो पर आये दिन होने वाले वीभत्स व अमानवीय अत्याचारों पर रोक लगाने और इन वर्गो की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1989 में भारतीय संसद ने अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, कानून पारित किया था और उसी **(शेष पृष्ठ 3 पर)**

प्रांतीय बैरवा प्रगति संस्था की ओर से बैरवा समाज का तृतीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन 29 अप्रेल को

जयपुर। प्रान्तीय बैरवा प्रगति संस्था की ओर से आगामी 29 अप्रेल, 2018 रविवार को बैरवा समाज का तृतीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन सुश्रुत सभागार, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर में प्रात: 10.00 बजे से आयोजित किया जा रहा है।

संस्था के महामंत्री राजेश कुमार शास्त्री एडवोकेट ने बताया कि इस अवसर पर समाज की युवाओं द्वारा गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है।

युवक-युवतियों के अभिभावक अपना पंजीयन संस्था कार्यालय सी-57 महेश नगर, जयपुर में करवा सकते हैं या संस्था की वेबसाईट www.bairwasamaaj.com पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए संस्था के प्रदेशाध्यक्ष महेश धावनिया मो. 9928260244 पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है।

बंशीवाल सेवानिवृत

जयपुर। श्री किशन लाल बंशीवाल सहायक लेखाधिकारी के पद से 40 वर्ष

की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त राज्य सेवा से सेवानिर्वत हुऐ। इस अवसर पर विभाग की और से श्री बंशीवाल का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया साथ ही चन्द्रकृपा गार्डन, महेशनगर, जयपुर में श्री किशनलाल बंशीवाल का परिवारजन, समाज एवं मित्रगणों द्वारा माला एवं साफा बंधवाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया साथ ही आये हुए सभी मेहमानों ने भोजन प्रसादी ग्रहण की।

समाचार विज्ञापन संकलन

श्री बाबा समाचार पत्र की प्रकाशन तिथि प्रत्येक माह की 5 तारीख है। अत: समाचार एवं विज्ञापन आदि के प्रकाशन के लिए विज्ञप्ति, फोटो आदि सामग्री माह की 20 तारीख तक पूर्ण विवरण के साथ भिजवा दें। सम्पर्क करें:

श्री बाबा whatsapp **7073909291**

सी-57, महेश नगर, 80 फीट रोड, जयपुर-15

मो.-9928260244 E-mail : shreebaba_2008@yahoo.com

सम्पादकीय

नये वित्तीय साल में

1 अप्रैल से अगली 31 मार्च तक की अवधि की आर्थिक लिहाज से बहुत महत्ता होती है। इस अवधि को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। बजट को फरवरी में घोषित किया जाता है, उसके प्रावधानों पर अमल 1 अप्रैल से ही शुरु होता है यानी कुल मिलाकर आर्थिक हिसाब-किताब के लिहाज से एक अप्रैल का बहुत महत्त्व है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों ने करीब 11 प्रतिशत का रिटर्न दिया। यह रिटर्न बहुत ज्यादा ना भी हो, तो भी बहुत बुरा नहीं है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील गतिविधियां होनेवाली हैं, उनका परिणाम आगामी बजट यानी 2019 के बजट पर पड़ने की पूरी संभावना है। मई में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणामों से आगामी राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियां तय होंगी। अगर इस चुनाव में कांग्रेस ने कुछ मजबूती दिखायी, तो फिर केंद्र सरकार के सामने यह चुनौती होगी कि वह बहुत दूरगामी महत्त्व के सुधारों के कदम उठाने में हिचकेगी। हाल में पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े घोटाले की खबरों के बाद यह भी साफ हो रहा है कि देर-सबेर सरकारी बैंकिंग में बुनियादी सुधार बहुत जरु री हैं। अगर कर्नाटक चुनाव में भाजपा मजबूती हासिल करती है, तो फिर बैंकिंग सुधारों के लिए कुछ ठोस उपायों की उम्मीद की जा सकती है। शेयर बाजारों के वित्तीय साल 2018-19 कुछ चिंताजनक होने के आसार हैं, क्योंकि इस साल शेयरों की बिक्री से होने वाले दीर्घकालीन मुनाफे पर कर लगने का प्रावधान लागू हो जाएगा।

राजनीतिक तौर पर भी यह वित्तीय साल कई आशंकाओं से भरा दिखाई पड़ता है। मई के बाद साल के अंत में राजनीतिक तौर पर संवेदनशील राज्यों में चुनाव होंगे। अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा कहीं कमजोर दिखाई दी, तो इसका साफ असर शेयर बाजारों पर देखने को मिलेगा। 2018-19 वित्तीय वर्ष में ही मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी स्वास्य देख-रेख योजना की शुरु आत होगी।

मोदी सरकार ने इस योजना के तहत करीब पचास करोड़ लोगों तक स्वास्य बीमा योजना पहुंचाने का दावा किया है। यह योजना कितनी कारगर होती है, यह तो अगले साल पता चलेगा। पर इसकी परफारमेंस के शुरु आती संकेत इसी वित्तीय वर्ष में मिलना शुरु हो जायेंगे। इन संकेतों का गहरा असर 2019 के लोक सभा चुनाव पर पड़ना है।

सदस्यता शुल्क

वार्षिक सदस्यता
100 रुपए
विशिष्ट द्विवार्षिक सदस्यता
500 रुपए
साथ में पाएं दो वैवाहिक एवं एक क्लासीफाइड डिस्प्ले विज्ञापन बिल्कुल मुफ्त
आजीवन सदस्यता
2100 रुपए
संरक्षक सदस्यता
5100 रुपए

भारत के सामाजिक इतिहास में डॉ. अम्बेडकर पहले महापुरुष

युवा कारवां वाहक

गतांग से आगे

वस्तुत: डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। न तो वह शूद्र सीमाओं में बंधे हुए थे और न ही किसी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। इसीलिए उन्होंने दलित अछूतों की समस्या को राष्ट्रीय समस्या माना तथा उनके उत्थान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, ताकि राष्ट्र विकास की गति को बेहतर बनाया जा सके तथा सर्वांगीण एवं सुविकसित भारत का निर्माण हो सके। वह राष्ट्र की एकता और अखण्डता के प्रबल पक्षपाति थे। उनकी मान्यता थी कि सब मनुष्य समान हैं। और सबको सम्मानपूर्वक जीने का हक है ।सबको आगे बढ़ने और प्रगति करने के अवसर मिलने चाहिए। उनके विचारों एवं कृत्यों के पीछे मानवता की प्रबल भावना निहित थी। किसी भी तरह के शोषण, उत्पीड़न अथवा एकाधिकार के वह कठोर विरोधी थे। उनका आग्रह सिर्फ यही था कि सबको न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव न हो, सारा समाज परस्पर मैत्री भाव से रहे। सबको स्वेच्छानुसार व्यापार करने की स्वतंत्रता हो। भारतीय संविधान की रचना करते समय उन्होंने इन बातों को ध्यान में रखा था। उनके सामाजिक दर्शन का मूल प्रतिपाद्य भी यही था कि मनुष्य सर्वोपरि है। दुनिया में मनुष्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। धर्म, सम्प्रदाय आदि सब साधन मात्र हैं, जो मनुष्य केजीवन को शिखर की ओर ले जाते हैं।

इन साधनों को कभी भी बदला जा सकता है। असली चीज है, लोकहित और यही जीवन का साध्य होना चाहिए। साध्य का लोकोपयोगी होना अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन साध्य की तुलना में साधन का महत्व भी गौण नहीं होना चाहिए। साध्य की पवित्रता साधन की पवित्रता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि डॉ. अम्बेडकर दलितों के हितों के लिए लड़े, लेकिन किसी के हितों पर चोट करना अथवा किसी को नीचे गिराकर स्वयं को ऊपर उठाना उनका उद्देश्य कदापि नहीं रहा। वह मानवता और अहिंसा के महान् उपासक थे तथा दलितों के मानवीय उत्थान के निमित्त ऐसे किसी भी साधन का, जिसमें लेशमात्र भी हिंसा हो, उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया। यही कारण था कि हिन्दू धर्म की सामाजिक व्यवस्था से पूर्णत: त्रस्त होकर हिन्दू धर्म

का परित्याग कर दिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। उनके पास इस्लाम, ईसाई सहित कई धर्मों की ओर से आमंत्रण आए। वह चाहते तो इनमें से चुन सकते थे। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 14 अक्टूबर, 1956 को वह ऐसे धर्म में दीक्षित हुए जो हिंसा का घोर विरोधी है, जो मानवीयता का पोषक है जो, भारतीय धर्म है। डॉ. अम्बेडकर द्वारा अपने लाखों अनुयाइयों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने के फलस्वरूप बर्मा, नेपाल आदि कई पड़ोसी देश भारत के अभिन्न मित्र बन गए।

स्पष्ट है कि डॉ. अम्बेडकर ने साधन की पवित्रता तथा राष्ट्रीय हितों को समान महत्व दिया। संविधान की रचना के लिए भारत सदैव उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि उनके द्वारा रचित संविधान के अनुरूप चलकर ही आज भारत उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। यदि आज ही भारतीय नारी घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, यदि आज भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है, तो बहुत हद तक इन सबका श्रेय डॉ. अम्बेडकर को जाता है।

क्योंकि भारत के संवधिान में उन्होंने ही यह व्यवस्था कराई कि देश के प्रत्येक नागरिक को ऊपर उठने के समान अवसर मिलें तथा सब मिल जुलकर अपनी सम्मिलित ऊर्जा को राष्ट्र के विकास में लगाएं। आज भारत नये परिवेश में जी रहा है। दलितों के नारकीय जीवन में आज समता और स्वाभिमान की भावना पैदा हो रही है। यह देश के नव निर्माण की एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया की शुरुआत का श्रेय डॉ. अम्बेडकर को जाता है।

वैवाहिक

वर चाहिए

* जयपुर निवासी, 25 वर्ष, शिक्षा-बी.एस.सी., बी.एड. स्टेनोग्राफर, पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-भीयाणा, बंशीवाल, गंगवाल, जोनवाल, मो. 9782888980।
* जयपुर निवासी, 27 वर्ष, शिक्षा-एम.ए., पिता-बैंक सेवा, गौत्र-मुराड़िया, बंशीवाल, जोनवाल, जीनवाल, मो. 9461937940।
* जयपुर निवासी, 30 वर्ष, शिक्षा-बी.ए., एम.ए., बी.एड., पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-नागरवाल, मेहर, लालवत, सामने भखण्ड न हो, मो. 9928988278।
* जयपुर निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-एम.कॉम., बी.एड., पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-नागरवाल, मेहर, लालवत, सामने भखण्ड न हो, मो. 9928988278।
* दिल्ली निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-बी.कॉम., पिता-बैंक सेवा, गौत्र-जोनवाल, कुण्डारा, सुलानिया, मो. 9810068173।
* जयपुर निवासी, 25 वर्ष, शिक्षा-बी.कॉम., एम.कॉम, पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-बंशीवाल, नागरवाल, सुलानिया, सामने सेर न हो।
* जयपुर निवासी, 21 वर्ष, शिक्षा-बी.एस.सी., पिता-निजी कार्य, गौत्र-मरमट, मीमरोट, जारवाल, कुण्डारा।
* दौसा निवासी, 18 वर्ष, शिक्षा-11वीं पास, पिता-निजी कार्य, गौत्र-शक्करवाल, चन्दवाड़ी, नंगवाड़ी, धावणिया, सामने बंशीवाल व देवतवाल न हो, मो. 9928260244।
* जयपुर निवासी, 27 वर्ष, शिक्षा-एम.बी.ए., पिता-बैंक सेवा, गौत्र-जारवाल, नागरवाल, मेहर, मो. 9784513332।
* जयपुर निवासी, 26 वर्ष, शिक्षा-एम.बी.ए., पिता-बैंक सेवा, गौत्र-जारवाल, नागरवाल, मेहर, मो. 9784513332।
* जयपुर निवासी, 27 वर्ष, शिक्षा-एम.ए.सी., गौत्र-मीमरोठ, जाटवा, बंशीवाल, सामने लकवाल व मराड़िया न हो।
* अलवर निवासी, 20 वर्ष, शिक्षा-बी.ए., पिता-निजी कार्य, गौत्र-मेहर, नागरवाल, कुण्डारा, सामने बन्दावड्या हो, मो. 9829510084।

वधू चाहिए

* जयपुर निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-बी.टेक, वर्तमान में टैक्स असिसटेंट इनकमटैक्स, पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-सुलाणिया, राजलवाल, बीलवाल, सामने बैण्डवाल न हो।
* जयपुर निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-बी.ए., एम.बी.ए., वर्तमान में स्वयं का व्यवसाय, पिता-निजी कार्य, गौत्र- गोमलाडू, मीमरोट, कुण्डारा, सामने तलावलिया न हो।
* जयपुर निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-बी.एस.सी. नर्सिंग, वर्तमान में एआईएमएस में कार्यरत, गौत्र-मीमरोठ, जाटवा, बंशीवाल, सामने लकवाल व मुराडिया न हो, मो. 7976069646।
* जयपुर निवासी, 23 वर्ष, शिक्षा-12वीं, गौत्र-बंशीवाल, लोदवाल, गोठवाल, देवतवाल।
* बीकानेर निवासी, 29 वर्ष, शिक्षा-बी.फार्मेसी, वर्तमान में कम्पनी में कार्यरत, पिता-राजकीय सेवा, गौत्र-रवाड़िया, मेहर, माली, मो. 9602211924।
* हनुमानगढ़ निवासी, 28 वर्ष, शिक्षा-10वीं पास, वर्तमान में दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस पर कार्यरत, गौत्र-बंशीवाल, चरावण्डिया, मीमरोठ।
* जयपुर निवासी, 25 वर्ष, शिक्षा-एम.कॉम., पिता-बैंक सेवा, गौत्र-मुराडिया, बंशीवाल, जोनवाल, जीनवाल, सामने बड़गोती ना हो, मो. 9461937940।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें
मो.: 9928260244

(पृष्ठ 4 का शेष)

प्रदेश बैरवा महासभा की कार्यकारिणी...

जिसकी अनुपालना मे हम अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रदेश पदाधिकारियों/प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों का मनोनयन निम्नानुसार किया जाता है:-प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेदप्रकाश वर्मा (एक्सईएन), प्रदेश उपाध्यक्ष: बाबूलाल महुआ (एकाउन्टस अधिकारी), शंकरलाल बैरवा (पूर्व विधायक) चित्तौडगढ, बजंरग लाल आर्य बून्दी, राधाकिशन बैरवा (एसीटीओ), रतनलाल बैरवा (प्रधानाचार्य) मालपुरा, संतोष बैरवा (पूर्व कृषिमण्डी चैयरमैन) कोटा, रामधन बैरवा करोली, आशा बैरवा, डॉ. सतीश सेहरा, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री: बुद्धिप्रकाश देव, कोषाध्यक्ष: श्रीनारायण चन्द्रवाल, प्रदेश आय-व्यय निरीक्षक रमेश कुमार गोठवाल प्रदेश मंत्री: रामफुल बैरवा (मूनीम) रामनिवास दास महाराज (बीएसएनएल) टोंक, चिरन्जीलाल बैरवा टोंक, औमप्रकाश बैरवा (सहायक लेखाधिकारी, शासन सचिवालय), लक्ष्मीनारायण बैरवा (पीडब्लूडी कॉन्टेक्टर), हरिसिंह पाड़ला करौली, हजारी लाल बैरवा (प्राचार्य), लक्ष्मण बैरवा बून्दी, अशोक कुमार मेहरा, मोतीलाल नागवंश प्रदेश संगठन मंत्री: रामनिवास बैरवा (पार्षद) जी.पी. वर्मा (निदेशक) सवाईमाधोपुर, लक्ष्मीनारायण बैरवा (रि.आरबीआई) रामजीलाल बैरवा (मुख्य प्रबंधक बीओबी) रमेश लोहिया (प्रधानाचार्य) बून्दी, लादूराम बैरवा (अध्यापक), सुन्दरलाल जारवाल अलवर, संतोष कुमार (मूर्तिकार), नन्दलाल बैरवा, छीतरलाल बैरवा, हीरालाल बैरवा (अध्यापक) सुरजकरण बडगोत्या कोटा, हरिराम नागरवाल, भौमाराम लोदवाल प्रदेश प्रचार-प्रसार मंत्री: बीना मेहरा, रामकुमार बैरवा (पूर्व प्रधान) करौली, बद्रीलाल बैरवा (अध्यापक) निवाई, नेमीचन्द बैरवा (सरपंच उगरियावास) विनोद कुमार बैरवा (विद्युत) सवाईमाधोपुर, हरजीलाल बैरवा बून्दी, बजरंगलाल बैरवा सवाईमाधोपुर, रामफुल बैरवा मालपुरा, शंकरलाल बैरवा राजसमंद, चिरन्जीलाल बैरवा, रामकिशन बैरवा कोटा, अनिल वर्मा, सीताराम बैरवा, हिरालाल हुड़ला, प्रभुदयाल उमरावल अलवर, प्रदेश कार्यालय मंत्री: रामेश्वर प्रसाद गोठवाल बस्सी, चन्द्रप्रकाश बैरवा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य: रामकुवार बैरवा बून्दी, औमप्रकाश बैरवा (जेईएन), वेदप्रकाश बैरवा, भुपेश बैरवा, जगदीश प्रसाद बैरवा (एटीओ) प्रकाश बैरवा, डॉ. बुद्धिप्रकाश बैरवा, हेमराज गंगवाल, नाथूलाल अंखढ झालावाड, अंकुर प्रसाद बैरवा, शंकरलाल बैरवा, राधेश्याम कालरवाल, पुरणमल बैरवा (पूर्व सरपंच) जारीलाल बैरवा (पूर्व तहसील अध्यक्ष) राधाकिशन बैरवा धर्मराज बैरवा पुष्करनारायण बैरवा एडवोकेट दुलीचन्द बैरवा बिहारीलाल राजवाल, रामनारायण बैरवा, बालूराम बैरवा, शंकरलाल मूर्तिकार, मधुसुधन बैरवा, सीताराम बैरवा, शंकरलाल बैरवा, फुदीलाल बैरवा, हरिराम बैरवा, हेमराज बैरवा, सुरजमल सुलानिया, घासीलाल बैरवा, हीरालाल बैरवा, रामपाल बैरवा टोंक, रामलाल बैरवा झालावाड, मोहनलाल बैरवा बांरा, कमलेश कुमार बैरवा, राजेन्द्र कुमार, चेतना बैरवा, डॉ. राजेश कुमार बैरवा, अनिल कुमार जोनवाल, रामजीलाल बैरवा (पूर्व अध्यक्ष बैरवा कर्मचारी), जगदीश बैरवा बस्सी, रामदयाल बैरवा, बनवारीलाल बैरवा, औमप्रकाश निमोड़िया, रामअवतार मीमरोट, नाथी बाई, कैलाश बैरवा, सोमाराम बैरवा, बाबूलाल बैरवा, प्रहलाद बैरवा, महेन्द्र कुमार बैरवा (पूर्व पार्षद), रामकिशोर बैरवा ठेकेदार, हजारीलाल बैरवा, प्रभातीलाल बैरवा, कृष्णा कुमार मेहरा, रमेश चन्द टटवाल, सीताराम बैरवा, हिम्मत सिंह, बाबूलाल बैरवा बस्सी, अजय कुमार बैरवा।

उक्त समारोह मे प्रान्तीय महामंत्री एडवोकेट मोहनप्रकाश बैरवा ने बताया कि मुख्य अतिथि माननीय हरिनारायण बैरवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बैरवा महासभा ने सर्व प्रथम नवीन पदाधिकारी/कार्यकारिणी सदस्यो को शपथ दिलाई। समारोह को सम्बोधित करते हुये कहा कि समाज मे जो फैली हुई कुरूतियो को दूर करने का पूर्णरूप से प्रयास किया जायेगा।

बालिका शिक्षा को बढावा देने युवाओ को व्यवसाय की और अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया तथा संगठन को मजबुत करने की वचनबद्धता दिलाई। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के संदर्भ में जो निर्णय दिया है वह दलित वर्ग पर कुठाराघाट किया है इस एक्ट को निष्प्रभावी करने के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को अखिल भारतीय बैरवा महासभा सम्पूर्ण भारत में ज़िला मुख्यालय व अम्बेडकर सर्किलो पर भारत बंद का समर्थन करेगी व इस फैसले के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी।

समारोह की अध्यक्षता कर रहे राज्यसभा सांसद श्री रामकुमार वर्मा ने उपस्थित सभी समाज बन्धुओ को भाई चारा बनाये रखने के लिए कहा तथा भारत सरकार/राज्य सरकार की योजनाओ के बारे मे विस्तार से बताया व लोगो को इन योजनाओ का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए प्रेरित किया।

विषिष्ठ अतिथियो ने समाज बन्धुओ से निवेदन किया की वे ज्यादा से ज्यादा अखिल भारतीय बैरवा महासभा की सदस्यता ग्रहण करे जिससे समाज की एकता प्रदर्शित हो। कजोडमल बैरवा प्रदेशाध्यक्ष ने उपस्थित सभी समाज बन्धुओ का हार्दिक आभार व्यक्त किया तथा समाज को आव्हवान किया कि समाज की एकता व भाई चारा प्रदर्शित करने के लिए ऐसे समारोह मे ज्यादा से ज्यादा सहपरिवार सम्मिलित होवे। मंच संचालन प्रान्तीय महामंत्री एडवोकेट मोहनप्रकाश बैरवा ने किया।

वर-वधु की प्रतिज्ञा

वधु की प्रतिज्ञा

स्वजीवनं मेलयित्वा, भवत: खलु जीवने।
भुत्वा चार्धांगिनी नित्यं, निवत्स्यामि गृहे सदा।।

अर्थ:- अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नये जीवन की सृटि करुंगी। इस प्रकार हमेशा सच्चे अर्थों में अर्द्धांगिनी बनकर रहूंगी।

शिष्टतापूर्वकं सर्वे: परिजानरनै: सह।
औदार्येण विधास्यामि, व्यवहारं च कोमलम्।।

अर्थ:-पति के परिवार के परिजनों को शरीर के अंग के समान मानकर सभी के साथ शिष्टता बरतूंगी, उदारता पूर्वक सेवा करुंगी, मधुर व्यवहार करुंगी।

त्यक्त्वालस्यं करिष्यामि, गृहकार्ये परिश्रमम्।
भर्तुर्हर्ष हि ज्ञस्यामि, स्वीयामेव प्रसन्नताम्।।

अर्थ:-आलस्य अधर्म छोड़कर परिश्रमपूर्वक गृह कार्य करुंगी। इस प्रकार पति के साथ प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करुंगी।

श्रद्धया पालयिष्यामि, धर्म पातिव्रतं परम्।
सर्वदैवानुकूल्येन, पतयुरादेशपालिका।।
(च) देवस्वरूपों नारीणां, भरता भवति मानव:।
मत्वेति त्वां भजिष्यामि, नियता जीवनावधिम्।।

अर्थ:-पतिव्रत धर्म का पाल करुंगी, पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाये रखकर सदेव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट-दुराव नहीं करुंगी, निर्देशों के अविलम्ब पालन का अभ्यास करुंगी। (च) नारी के लिए पति, देवस्वरूप होता है- यह मानकर मतभेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी, कभी भी पति का अपमान नहीं करुंगी।

सुश्रूषणपरा स्वच्छा, मधुर-प्रियभाषिणी।
प्रतिजाने भविष्यामि, सततं सुखदायिनी।।

अर्थ:- सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का सतत् प्रयोग करती रहूंगी। ईर्ष्या, कुढन आदि दोषों से बचूंगी और प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी।

मित्ययेन गार्हस्थ्य-संचालने हि नित्यदा।
प्रयतिष्ये: च सोत्साहं, तवाहमनुगमिनी।।

अर्थ:- मितव्ययी बनकर फिजूलखर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी गृहस्थ के अनुशासन का पालन करुंगी। एवं अपनी योग्यता से बढ़कर पारिवारिक दायित्व वहन में सहयोगी रहूंगी।

पूज्यास्तव पितरो ये, श्रद्धया परमा हि में।
सेवया तोषयिष्ययामि, तान्दा विनयेनच।।
(च) विकासाय सुसंस्कारै: सूत्रै: सद्भाववर्द्धिभि:।
परिवार सदस्यानां, कौशल विकसाम्यहम्।।

अर्थ:- जो पति के और उनके पूज्य व श्रद्धा के पात्र हैं, उन्हें सेवा द्वारा, विनय द्वारा सदैव सन्तुष्ठ रखूंगी। (च) परिवार के सदस्यों में सुस्संस्करणों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रहने का कौशल अपने अन्दर विकसित करुंगी।

वर की प्रतिज्ञा

धर्मपत्नीं मिलित्वैव, हेकं जीवनमावयो:।
अद्यारभ्य यतो ने त्वम्, अर्द्धांगिनिति घोषिता।।

अर्थ:- आज से धर्मपत्नी को अर्द्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाकर एक नये जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्मपत्नी का घ्यान रखूंगा।

स्वीकरोमि सुखेन त्वां, गृहलक्ष्मीहन्तत:।
मन्त्रयित्वा विधास्यामि, सुकार्याणि तत्वा सह।।

अर्थ:- प्रसन्नता पूर्वक गृहलक्ष्मी का महान, अधिकार सौपता हूँ और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा।

रूप-स्वास्थ्य-स्वभावान्तु, गुणदोषादीन् सर्वत: रोगाज्ञान-विकारां, तव विस्मृत्य चेतस:।।

अर्थ:- रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण-दोष एवं अज्ञानजनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा, उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करुंगा। स्नेहपूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाये रखूंगा।

गृहस्यार्थव्यवस्थायां, मन्त्रयित्वा त्वया सह। संचलनं करिष्यामि, गृहस्थोचित-जीवनम्।।

अर्थ:- गृह-व्यवस्था में धर्मपत्नी की प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उसकी सहमति से करने की गृहस्थाचित जीवनचर्या अपानाउंगा।

समृद्धि-सुख-शांतीनां, रक्षणाय तथा तव।
व्यवस्थां वै करिष्यामि, स्वशक्तिवैभवादिभि:।।

अर्थ:- धर्मपत्नी की सुख-शांति-सुरक्षा तथा प्रगति की व्यवस्था करने में मैं अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा।

सहचरो भविष्यामि, पूर्णस्नेह: प्रदास्ते।
सत्यता मम निष्ठा च, यस्याधारं भविष्याति।।

अर्थ:- पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा-पूर स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करुंगा।

भवत्यामसर्थाया, विमुखाया कर्मणि।
विश्वास सहयोगश्व मग प्राप्स्यसि त्वं सदा।।

अर्थ:- पत्नी के असमर्थ या परिस्थिति विशेष के कारण अपने कर्त्तव्य में विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग को और कर्त्तव्य पालन में रत्ती भर भी कमी न रखूंगा।

- पं. भवानी शंकर गोठवाल

दिल्ली में महामंत्री.... (पृष्ठ 1 का शेष)

मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, या कहूं कि मैं थांसू दूर नहीं। जोधपुर मेरी प्रयोगशाला रहेगी। पांच साल तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री रहने से पहले भी दिल्ली में रहा, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनकर लौटा। जब राजनीति से रिटायर्ड हो जाऊंगा तब जोधपुर आकर रहूंगा। उन्होंने कहा कि आलाकमान ने विश्वास करके जो नई जिम्मेदारी दी है, उसे पूरी तरह समझकर निभाने की कोशिश करूंगा। नई पीढ़ी को कांग्रेस से जोड़ेंगे। आज नई पीढ़ी और कांग्रेस के बीच थोड़ी दूरी आ गई है। नई पीढ़ी को कांग्रे स के बलिदानों की जानकारी नहीं है, जबकि बीजेपी अब 70 साल बाद गांधी व पटेल को अपना रही है। थोड़े समय बाद वे नेहरू को भी अपनाएंगे। राजस्थान में सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि यह फैसला वर्किंग कमेटी करेगी।

श्री बैरवा जिला वरिष्ठ नियुक्त

जयपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की प्रभारी सुश्री रुचि गुप्ता, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष श्री गोपाराम मेघवाल, जयपुर संभाग प्रभारी श्री राजेन्द्र बैरवा की सहमति से श्री सुरेश कुमार गोडीवाल ने श्री हीरालाल बैरवा को जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अजा विभाग नियुक्त किया।

'69वाँ राजस्थान... (पृष्ठ 1 का शेष)

लोकगीतों के साथ राजस्थानी नृत्य एवं गायन की मनभावन प्रस्तुतियां से दर्शकों का मन मोह लिया। प्रारम्भ में राज्य की प्रमुख आवासीय आयुक्त श्रीमती शुभ्रा सिंह ने आगन्तुक अतिथियों का स्वागत किया। उनके साथ अतिरिक्त आवासीय आयुक्त डॉ. प्रतिभा सिंह व श्री विमल शर्मा तथा पर्यटन विभाग की अतिरिक्त निदेशक डॉ. गुंजीत कौर ने भी मेहमानों की अगवानी की। स्वागत द्वार पर बीकानेर से आये श्री अंग्रेज सिंह एवं साथियो ने मुश्क वादन से स्वागत धुन छेड़ी। इस मौके पर केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रवासी राजस्थानी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और अन्य विशिष्टजन भी मौजूद थे।

राजस्थान दिवस पर दिल्ली और जयपुर में भव्य समारोह

राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानीं नई दिल्ली,प्रदेश की राजधानी जयपुर, राज्य के सभी 33 जिलों के साथ ही देश के विभिन्न स्थानों पर भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली के हिंदी भवन में अप्रवासी राजस्थानियों की प्रतिनिधि संस्था राजस्थान संस्था संघ द्वारा राजस्थान दिवस का भव्य आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आज 30 मार्च को अपनी स्थापना की 68 वी वर्षगाँठ मना रहा है। 30 मार्च,1949 को वृहत राजस्थान के गठन के साथ ही देश के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में आयोजित भव्य समारोह में औपचारिक रूप से राजस्थान राज्य की स्थापना की घोषणा की थी। कभी राजपुताना के नाम से विख्यात राजस्थान के गठन की कहानी बहुत दिलचस्प है। राजा- महाराजाओं की धरती के रूप में विख्यात यह विशाल प्रदेश पहले 19 रियासतों और 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बंटा हुआ था । छोटी बड़ी 22 रियासतों में विभाजित राजस्थान का गठन सात चरणों मे पूरा हुआ। पुर्नगठित राजस्थान के गठन में 18 वर्ष लगे। 17 मार्च, 1948 को मत्स्य संघ के गठन के साथ शुरू हुई यह प्रक्रिया 30 मार्च,1949 को सरदार वल्लभभाई पटेल की मौजूदगी में ओपचारिक रूप से राजस्थान प्रदेश की स्थापना की घोषणा के साथ सम्पन्न हुई। कालान्तर में 01 नवम्बर 1956 को अजमेर और माउन्ट आबू के राजस्थान में शामिल होने के साथ राजस्थान के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हुई।

एस.सी./एस.टी. एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला... (पृष्ठ 1 का शेष)

कानून में जनवरी 2015 में संशोधन कर उसे और अधिक कठोर बनाया गया था इस कानून को इस आशय से बनाया गया था कि हजारों वर्षो से सताये जा रहे इन वर्गो को राहत मिले परन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस संशोधित कानून को कठोर पालना के लिए सरकार कुछ कदम उठाये, इस बीच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 20 मार्च 2018 को दिये गये निर्णय में इस कानून की धार व मूल भावना को ही निरस्त कर प्रभावहीन बना दिया है। इस समबन्ध में यह बताना जरूरी है कि एन.सी.आर.बी आंकडों के मुताबिक पिछले 2007 से 2017 तक दस साल में दलित उत्पीडन के मामलों में 66 प्रतिशत को बढोतरी हुई है। इसी दौरान में रोजाना देश में 6 दलित महिलाओं के यौन शोषण व अत्याचार के मामले दर्ज किये गये है जो 2007 की तुलना में अब दुगने हो गये है। आंकडों के मुताबिक पिछले वर्षो में दलित अत्याचार की घटनाऐं तेजी के साथ बढ रही है। वर्ष 2006 में दलितों के खिलाफअपराधों के कुल 27070 मामले दर्ज किये गये जो 2011 में बढ कर 33719 हो गये, वर्ष 2014 में अनुसूचित जाति के वर्गो के साथ अपराधों के 40401 मामले , 2015 में 38670 मामले और 2016 में 40801 मामले दर्ज किये गये एन.सी.बार.बी. के आंकडों के मुताबिक 10 वर्षो में दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म के माममों में दुगनी वृद्वि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2006 में जहां प्रत्येक दिन दुष्कर्म के यहां 3 मामले दर्ज होते थे वर्ष 2016 में बढकर 6 हो गये है। आज भारत में दलित समुदाय जातिवाद से मुक्त होना चाह रहा है तो उन पर अत्याचार व हमले हो रहे है । पहले दलित समुदाय के लोग अत्याचार का विरोध करने व जवाब देने में संकोच करते थे लेकिन अब वो अत्याचार का विरोध करने लगे है व जवाब भी दे रहे है। पहले लोग दलितों के प्रति सहानुभूमि पूर्वक रवैया अपनाते थे परन्तु अब उनके प्रति सर्वण समाज ने इष्यालु रवैया अपना लिया है और अब वे आरक्षण व इस अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम को खत्म करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे है।

आंकडे यह भी सिद्व करते है कि अनुसूचित जाति/जनजाति की अत्याचार के मामलों में पुलिस द्वारा दबे कुचले और मूक पीडितों की प्रथम सूचना रिपोर्ट ही नही लिखी जाती है और यदि किसी तरह प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी भी गई है तो जांच के दौरान उन में 60 प्रतिशत शिकायतों को जातिगत द्वैषता से प्रेरित होकर झूंठा करार दिया जाता है, जिसके कारण बहुसंख्यक दलित उत्पीडन के लोग न्याय व सुरक्षा से वंचित हो जाते है तथा दबंग अत्याचार करने वाले लोग दलित, गरीब पीडितों पर अत्याचार कर दलितों की मानवीय गरिमा के साथ खिलवाड करते रहते है।

न्यायालय की लम्बी, खर्चीली व जटिल प्रक्रियाओं क चक्कर में दलित पीडितों को न्याय नही मिलता जो की हमारी संवैधानिक मान्यताओं और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। यही कारण है कि आज अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय पर अत्याचार करने वाले दबंग लोगों को सजा मिलने का प्रतिशत बहुत थोडा है जिसके कारण से देश की वंचित वर्गो, महिलाओं व गरीबों में सामाजिक असंतोष पैदा होता जा रहा है जो कि देश की कानून व्यवस्था सामाजिक सद्भाव के लिए घातक सिद्व हो सकता है। ऐसी प्रस्थितियों में अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें एस.सी./एस.टी. कानून को बिल्कुल ही अप्रभावी बना कर खत्म करने का प्रयास किया गया है। उच्चतम न्यायालय के फैसले में इस अधिनियम के क्रियान्वयन पर लगाये गये प्रतिबन्धों के फलस्वरूप उत्पीडित लोग अब पुलिस के पास जाने से डरेगें क्योंकि उन की शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही नही होगी बल्कि लम्बी जांच पड़ताल के बाद मामलों को जातिगत द्वैषता के कारण दबा दिया जायेगा। हम माननीय न्यायालय फैसले के खिलाफकोई टिप्पणी नही कर सकते है परन्तु फिर भी यह अनुभव करते है देश की 30 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के लोगों की सामाजिक आर्थिक व जमीनी स्तर पर परिस्थितियों को न्यायालय के ध्यान में लाया जाता तो शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस कानून को निरस्त करने की आवश्यकता नही पडती। हमारा मानना यह है कि भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सम्बन्धित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, विधि मंत्रालय, तथा अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग इस महत्वपूर्ण व संवेदनशील मुद्दे पर न्यायालय के सामने पैरवी करने के लिए सालीसीटर जनरल या अट्रार्नी जनरल को भेजा जाता तो सुप्रीम कोर्ट इतना कठोर फैसला देने की आवश्यकता नही पडती। इस सम्बन्ध में यह भी बताना जरूरी है कि वर्तमान सरकार की मानसिकता दलितों के प्रति सहानुभूति पूर्वक नही है। जब इस कानून में अध्यादेश द्वारा संशोधन लाया गया तो सरकार व संसद में अध्यादेश को पास कराने में जानबूझकर कोताही बरती जिसकी वजह से इस अध्यादेश को संसद में लेप्स होना पडा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री श्री थावरचन्द गहलोत ने संसद में मौजूद होते हुये भी जब अध्यादेश के अनुमोदन का समय आया तो वह अपनी सीट से उठ कर चले गये व अपनी सीट पर अनुपस्थित रहे और अध्यादेश पास नही हो पाया।

देश के सभी दलित विरोधी खेमों, अभियानों संगठनों में एससी/एसटी की मूल भावना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किये जाने पर हर्ष की लहर दौड गई है और यह बडी खुशी जाहिर की जा रही है। इसके साथ ही इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है। उससे पूरे देश के दलित, वंचित, दलित संगठनों, सामाजिक न्याय के समर्थको, दलित संस्थाओं में बडी तेजी के साथ आक्रोश पैदा होता जा रहा है।

अत: दलित अधिकार केन्द्र सभी सामाजिक न्याय के पक्षधरों, दलित संस्थाओं, कार्यकर्ताओं, राजनेताओं से अपील करता है कि वे सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बारे में एक जुट होकर अपना आक्रोश व सामूहिक व विरोध व्यक्त करें।

इस के साथ ही साथ दलित अधिकार केन्द्र सरकार व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग से पुरजोर शब्दों में मांग करता है कि वे तुरन्त हस्तक्षेप करे:-

1. उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ समीक्षा याचिका (Review Petition) प्रस्तुत कर कानून को पुन: प्रभावी बनाने केलिए कार्यवाही करे।

2. इस विवादित कानून की सही व्याख्या के लिए अट्रानी जनरल अथवा सालीसीटर जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की वृहद (Large) बेच के सामने रखवाया जावे।

3. केन्द्र सरकार तुरन्त एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट के दलित विरोधी फैसले को निरस्त करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे।

मंडावरी में दिनांक 23 मार्च, 2018 को बैरवा संत महर्षि बालीनाथजी महाराज की मूर्ति का मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिन्धिया ने किया अनावरण कर सभा को सम्बोधित करते हुए।

बैरवा महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न

जयपुर। अखिल भारतीय बैरवा महासभा प्रदेश के चुनाव दिनांक 23-24 दिसम्बर 2017 को स्थान गुलाब विहार गार्डन, श्योपुर रोड, गौशाला के सामने, सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान मे सम्पन्न हुये प्रदेशाध्यक्ष कजोडमल बैरवा एवं प्रदेश महामंत्री एडवोकेट मोहनप्रकाश बैरवा निर्वाचित हुये नवीन कार्यकारिणी का गठन करने के लिए अधिकृत है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारत बंद, राजस्थान सहित पूरे देश... (पृष्ठ 1 का शेष)

दौसा, भरतपुर के भुसावर और गंगापुर सिटी में बाजार सूने रहे। दस से ज्यादा जिलों में इंटरनेट सेवाएं बाधित रही। पुलिस ने 150 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्थान में शताब्दी सहित तीन ट्रेनें प्रभावित हुईं। देशभर में यह आंकड़ा 100 से ज्यादा ट्रेनों का रहा। दलित संगठन एससी-एसटी एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि सरकार ने सोमवार को ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में फिर से चुनौती दे दी थी। पर कोर्ट ने फौरन सुनवाई से मना कर दिया।

एससी-एसटी एक्ट मामले में पीएम से मिले दलित सांसद

नई दिल्ली। एससी-एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चौथे दिन सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला कर लिया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने पुनर्विचार याचिका के लिए शनिवार को फाइल कानून मंत्रालय को भेजी थी। कानून मंत्रालय ने बुधवार शाम इस पर सहमति दे दी। इस मामले में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थायरचंद गहलोत ने नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंउल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।

इसमें रामनिवास पासवान, अर्जुनराम मेघवाल, अजय ट्रम्ट्रा समेत कई भाजपा नेता शामिल थे। एनडीए में मंत्री रामविलास पासवान ने भी कहा था कि सरकार को तत्काल पुनर्विचार याचिका दाखिल करनी चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर जयन्ती की हार्दिक शुभकामनाएं

छोटेलाल बैरवा
ेषाध्यक्ष-बाढ़देवरी विकास समिति

प्रेमचन्द टटवाल
ग्राम मालीपुरा, भरतपुर

अक्षय तृतीया व पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकने के निर्देश

जयपुर। आगामी 18 अप्रेल को अक्षय तृतीया एवं 29 अप्रेल को पीपल पूर्णिमा पर्व पर संभावित बाल विवाह को रोकने व बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, श्री दीपक उप्रेती द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए ग्राम एवं तहसील स्तर पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों, वृत्ताधिकारी, थानाधिकारीगण, पटवारियों, भू-अभिलेख निरीक्षकों, महिला अधिकार अभिकरणों एवं महिला बाल विकास के परियोजना अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा विभाग के अध्यापकों, नगर परिषद एवं नगरपालिका के कर्मचारियों व जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों तथा वार्ड पंचों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं आमजन को जानकारी देकर उनमें जन जागृति उत्पन्न करने एवं दोनों पर्वों पर बाल विवाह रोके जाने की कार्यवाही कराने में अपना पूरा योगदान करने के आदेश दिये गये हैं। इसके लिए समाज की मानसिकता एवं सोच में परिवर्तन लाने के लिए मार्च माह से ही एक कार्ययोजना तैयार कर कार्यवाही अमल में लाया जाना होगा।

उन्होंने बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए जिला ब्लॉक व जिला स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय करना, ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी हलवाई, बैण्डबाजा, पंडित, बाराती, पाण्डाल व टेन्ट लगाने वाले, ट्रांसपोर्ट इत्यादि पर बाल विवाह में सहयोग करने का आश्वासन लेना और उन्हें कानून की जानकारी देना, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ चेतना बैठकों का आयोजन करना, ग्रामसभाओं में सामूहिक रूप से बाल विवाह के दुष्प्रभावों की चर्चा करना व रोकथाम की कार्यवाही करना, किशोरियों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों व विभिन्न विभागों के कार्यकर्ताओं में स्वास्थ्य, वन, कृषि, समाज कल्याण, प्राथमिक शिक्षा विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बैठक आयोजित करने, विवाह के लिए छपने वाले निमंत्रण पत्र में वर- वधु की जन्म तारीख प्रिन्ट किये जाने के लिए बल दिया जाना सहित महत्वपूर्ण बिन्दुओं को कार्ययोजना में शामिल किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समस्त जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे इन दोनों पर्वों पर बाल विवाहों की रोकथाम के संबंध में अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने की समुचित कार्यवाही करने तथा सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषध अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही करने, अक्षय तृतीया से एक माह पूर्व जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं उपखंड कार्यालय में 24 घंटे क्रियाशील कन्ट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिये हैं।

इसके अलावा उन्होंने बाल विवाहों के आयोजन किये जाने की स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 6 की धारा 16 के तहत नियुक्त ''बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों'' (उपखंड मजिस्ट्रेट्स) की जवाबदेही नियत करते हुए जिनके क्षेत्र में बाल विवाह सम्पन्न होने की स्थिति में उनके विरुद्ध जिला कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये हैं।

स्वामीत्व, मुद्रक, प्रकाशक, रजनी के लिए एम.बी. प्रिन्टर्स एफ-76 ए, करतारपुरा इण्ड. एरिया मोरानी वर्क्सशॉप के पास जयपुर से मुद्रित एवं सी-57, महेश नगर, 80 फीट रोड, जयपुर-15 (राज.) से प्रकाशित। सम्पादक-भवनेश धावनिया। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा। मो.-9928260244, 9829271582 E-mail : shreebaba_2008@yahoo.com